राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, सैक्टर नं–2, कावेरी पथ, मानसरोवर जयपुर

क्रमांकः एफ.2(2)(1)बा.अ.वि./संस्थापन/सामान्य/2016 जयपुर, 1254-353 दिनांक : 13/4/17

1. उप/सहायक निदेशक,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
   जिला बाल संरक्षण इकाई.....।
2. अध्यक्ष बाल कल्याण समिति,.....।
3. समस्त अधीक्षक,
   राजकीय सम्प्रेषण एंव किशोर गृह, बालिका गृह/शिशु गृह.....।

विषयः– अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति वर्ग (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एंव नियम 2015 तथा लैगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2012 के सम्बंध में।

प्रसंगः– अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग का परिपत्र क्रमांक 17096 दिनांक 06.04.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति वर्ग पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित 2015 की धारा 3 एंव 4 में वर्णित विभिन्न अपराधों (लैगिंक हिंसा सहित) एंव अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं पर होने वाली लैगिंक हिंसा की प्रभावी रोकथाम हेतु लैगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उक्त परिपत्र में यह भी उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति वर्ग के लैगिंक हिंसा से पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं को अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 12 (4) के अर्न्तगत निर्धारित आर्थिक सहायता एवं अनुतोष/राहत प्राप्त नहीं हो पा रही हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त वर्णित परिपत्र के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि लैगिंक हिंसा से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं (अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुए एवं पुर्नवास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों/उनके आश्रितों) को क्षतिपूर्ति के रूप में लैगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011

के अर्न्तगत देय प्रतिकर/मुआवजा राशि के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 एंव 4 में वर्णित विभिन्न अपराधों (लैगिंक हिंसा सहित) एंव अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 में वर्णित लाभ भी दिया जायेगा ।

अतः उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार परिपत्र की पालना में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लैंगिंक हिंसा से पीड़ित बच्चों को लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011'' के अन्तर्गत देय प्रतिकर/ मुआवजा राशि के अतिरिक्त ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016'' में निर्धारित अनुतोष/राहत प्राथमिकता से नियमानुसार स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

12/4/2017
(एन.एल.मीना)
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः एफ.2(2)(1)बा.अ.वि./संस्थापन/सामान्य/2016 जयपुर, 1354 दिनांक 13/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सा.न्या.अ.वि.।

आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेड़कर भवन, होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांक F.11(70)AP/SJE/17/ 17096 जयपुर, दिनांक 6.4.2017

परिपत्र

विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016 का कियान्वयन किया जा रहा हैं। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं पर होने वाली लैंगिंक हिंसा की प्रभावी रोकथाम हेतु "लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" एवं "लैंगिंक हिंसा सै बालकों का संरक्षण नियम, 2012" का कियान्वयन किया जा रहा हैं।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लैंगिंक हिंसा से पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत निर्धारित आर्थिक्र सहायता एवं अनुतोष/राहत प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। उक्त परिपेक्ष्य में संबंधित प्राधिकारियों हेतु निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई हैं।

लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत लैंगिंक हिंसा से पीड़ित बालक–बालिकाओं को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर/मुआवजा दिये जाने के संबंध में धारा 33 (8) एवं नियम 7 में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। नियम 7 (6) के अनुसार पीड़ित बालक/बालिका या उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक/बालिका को भरोसा या विश्वास है, के द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य नियमों एवं योजना के अंतर्गत अनुतोष/राहत प्राप्त की जा सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुए एवं पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों/उनके आश्रितों को प्रतिकर के लिए "राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011" कियान्वित की जा रही हैं। लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रतिकर/मुआवजा संबंधी प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उक्त स्कीम में वर्ष 2015 में आवश्यक संशोधन उपरान्त राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2015 लागू की गई हैं।

उक्त स्कीम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के आदेश और राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लैंगिंक हिंसा से पीड़ित बालक/बालिकाओं को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर/मुआवजा दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। स्कीम के बिन्दु संख्या 5 (5) के परन्तुक के अनुसार पीड़ित बालक/बालिका या उसके माता–पिता या संरक्षक

या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक/बालिका को भरोसा या विश्वास है, के द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य नियम एवं स्कीम के अंतर्गत अनुतोष/राहत प्राप्त की जा सकती हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 एवं 4 में वर्णित विभिन्न अपराधों (लैंगिंक हिंसा सहित) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के नियम 12 (4) के तहत् निर्धारित अनुसूची के अनुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को नगदी या वस्तुरूप या दोनों के रूप में अनुतोष/राहत उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं।

उक्त परिपेक्ष्य में संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त वर्णित अधिनियमों एवं स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप लैंगिंक हिंसा से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को लैंगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011" के अन्तर्गत देय प्रतिकर/ मुआवजा राशि के अतिरिक्त "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम 2016" में निर्धारित अनुतोष/राहत प्राथमिकता से नियमानुसार स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक जैन)
अति. मुख्य सचिव

क्रमांक F.11(70)AP/SJE/17/ 1709-117 जयपुर, दिनांक 6.4.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग/विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.....।
6. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राईट्स) राजस्थान पुलिस, जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक, अभियोजन, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

E:\Daksh Jiff-11-70 Guideness POA related 2013-14
E-mail: ddapjpr.sje@rajasthan.gov.in Tel.:0141-2220258,2226615 Fax no.: 0141-2220336

9. संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग (ग्रुप–13), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर तथा अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई ....
11. समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक,................................।
12. उपनिदेशक, आईसीपीएस/सहायक निदेशक, आईसीपीएस, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई,........................।
14. समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति,..।
15. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह,......................
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव